

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी/2018/346

दिनांक 07/08/19

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

मेडिकल कॉलेज, अजमेर/झालावाड़/उदयपुर/जयपुर/

जोधपुर/महात्मा गाँधी, जयपुर


विषय:- सेवारत कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृति बाबत आक्षेपों की पूर्ति करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेवारत कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए किन्तु कुछ चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश आवेदनों में कमियाँ रही है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक	मेडिकल कॉलेज का नाम	विभाग का नाम	पाई गई कमियाँ।
1	डॉ० राहुल सोनी	मेडिकल कॉलेज झालावाड़		पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है।
2	डॉ० किशाना राम	एसएमएस जयपुर	स्त्री रोग	प्रस्तुत बॉण्ड में कांट-छाट अधिक है। आवेदन पत्र मेडिकल कॉलेज से अग्रेषित नहीं है।
3	डॉ० कमल कुमार रादव	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	स्त्री रोग	पीएल फार्म में अवधि सही नहीं है
4	डॉ० रमित सिंह पाला	मेडिकल कॉलेज उदयपुर	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है।
5	डॉ० महेन्द्र कुमार गौचर	झालावाड़	निश्चेतन	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है।
6	डॉ० सुनील चौधरी	अजमेर	जनरल सर्जरी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है।
7	डॉ० पारिक्षित दिशोई	महात्मा गाँधी जयपुर	जनरल सर्जरी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है। आवेदन पत्र भी उचित माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया है। अवकाश आवेदन पत्र भी अधूरा है।
8	डॉ० अर्पित गौतम	झालावाड़	पिडियट्रिक	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है।
9	डॉ० स्वाति	झालावाड़	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है।
10	डॉ० मधु सैन	झालावाड़	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है।
11	डॉ० प्रशांत बेनीवाल	झालावाड़	मेडिसिन	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं है। वर्ष 2017 का आवेदन वर्ष 2018 में विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट करें।

12	डॉ० बाबू लाल यादव	झालावाड	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है ।
13	डॉ० विनोद कुमार.	झालावाड	पैथोलोजी	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है ।
14	डॉ० ऋषु गुप्ता	झालावाड	मेडिसिन	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने के स्थान पर 3 वर्ष का बॉण्ड संलग्न किया है ।
15	डॉ० सुरेन्द्र जाखड	जोधपुर	एनेस्थिसिया	पीजी के पश्चात राज्य सेवा 05 वर्ष करने का बॉण्ड संलग्न नहीं किया है ।


अतः उक्त चिकित्सकों से आक्षेपों की पूर्ति कर नवीन आवेदन सहित (पीएल फॉर्म/बॉण्ड प्राप्त कर) मूल ही निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें साथ ही चिकित्सक ने सेवारत कोटे के तहत ही पीजी कोर्स हेतु आवेदन किया है, केवल उन्ही चिकित्सकों के आवेदन पत्र भिजवावें, जिससे नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी/2018/ 346

दिनांक : 7/06/19

प्रतिलिपि :- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।